

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

25-हरिद्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री मदन कौशिक निवासी म0नं0 224बी, गली नं0 7, खन्ना नगर, ज्वालापुर जिला हरिद्वार जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान-हरिद्वार।

तारीख-10, मार्च, 2022

*Akshil*  
10/3/2022

रिटर्निंग आफिसर  
विधान सभा निर्वाच क्षेत्र  
25 हरिद्वार।

रिटर्निंग आफिसर  
25-हरिद्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

## FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand State from 25-Hardwar Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

**Madan Kaushik**

**H.no. 224B Gali no. 7, khanna nagar, jwalapur, District Haridwar** sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- **Haridwar**

Date- **10-03-2022**

*Akash*  
*10/3/2022*  
**Returning Officer**  
25 Hardwar  
Assembly Constituency

**Returning Officer**  
25-Haridwar Assembly Constituency